



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 16.06.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं को देता है अंजाम।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस को दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में गश्त एवं चेकिंग के दौरान ग्राम हड़हा में नहर पुलिया के पास आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है और एक संगठित आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है जिसके विरुद्ध लूट, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य गंभीर धाराओं में आपराधिक मामलें दर्ज हैं।

### **बरामदगी-**

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. आजम खॉन पुत्र तैय्यब खॉन निवासी कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा।

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 145/26 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

### **आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 98/25 धारा 309(6)/317(3)/317(4) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 221/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 0197/26 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम 1986 थाना गिरवां जनपद बांदा।

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 कल्बे अब्बास खान
2. का0 अजय यादव
3. का0 सुनील कुमार